बिहार सरकार
कृषि विभाग
अधिसूचना

संख्या– 6/स्था0नियु0नियमा0 67/09– 1296 दिनांक : 28.11.2014

भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परंतुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–**

(i) यह नियमावली 'बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि–8 (माप एवं तौल) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषा।– इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –**

(i) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग,

(ii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) का संवर्ग,

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है "बिहार कर्मचारी चयन आयोग"।

(iv) 'वर्ष' से अभिप्रेत है "वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक" की अवधि,

(v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–8 (मापं एवं तौल) में नियुक्त व्यक्ति,

(vi) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

3. **संवर्ग का गठन।–**

(1) यह सेवा राज्य सेवा होगी तथा कृषि विभाग इस सेवा का प्रशासी विभाग होगा।

(2) मूल पद निरीक्षक, माप एवं तौल का होगा जिसकी प्रोन्नति का पद सोपान निम्नवत् है–

(a)	निरीक्षक माप एवं तौल	– मूल पद
(b)	सहायक नियंत्रक माप एवं तौल	– प्रथम प्रोन्नति का पद
(c)	उप नियंत्रक माप एवं तौल	– द्वितीय प्रोन्नति का पद
(d)	संयुक्त नियंत्रक माप एवं तौल	– तृतीय प्रोन्नति का पद

(3) संवर्ग की संरचना एवं आकार की समीक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।

(4) उपर्युक्त पदो के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान देय होगा।

4. **मूल कोटि में नियुक्ति ।–**

(1) मूल कोटि के पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे।

(2) प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल को संवर्ग में स्वीकृत पदों के विरूद्ध सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना की जायेगी।

(3) **शैक्षणिक योग्यता** ।– संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान (भौतिकी के साथ)/अभियंत्रण/प्राद्यौगिकी में स्नातक की डिग्री।

(4) **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति ।–**

(क) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के बीच से की जायेगी।

(ख) **उम्र सीमा** – आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय–समय पर अवधारित की जाय, परन्तु विशेष परिस्थिति में उसका कारण अभिलिखित करते हुए विभाग इसे बढ़ा सकेगा।

(ग) **आरक्षण** – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए समय–समय पर अवधारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(घ) सीधी नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा सामान्य एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के साथ अधियाचना प्रत्येक वर्ष आयोग को भेजी जायेगी।

(ड) **प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम** – प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित पत्र होगें :–

(i) हिन्दी – 100 अंक (एक पत्र)

(ii) सामान्य ज्ञान –100 अंक (एक पत्र)

(iii) विज्ञान (भौतिकी के साथ)/अभियंत्रण /प्राद्यौगिकी –200 अंक का (दो पत्र) (प्रत्येक 200 अंक का)

कुल–400 अंक

हिन्दी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस पत्र में प्राप्तांक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। मेधा सूची विज्ञान (भौतिकी के साथ)/अभियंत्रण/प्राद्यौगिकी के 400 अंकों तथा सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो आयोग द्वारा उसके द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अवधारित की जाय। विज्ञान (भौतिकी के साथ)/अभियंत्रण/प्राद्यौगिकी का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित किया जाएगा।

(छ) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** – आयोग लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगा और प्रतिवेदित अधियाचना के अनुसार अनुशंसा विभाग को करेगा।

5. **परिवीक्षा ।–**

(1) सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा किन्तु, विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए यह अवधि विभाग के द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। यदि बढ़ाई गयी अवधि में भी उसका कार्य संतोषप्रद नहीं हो तो उसकी सेवा सरकार द्वारा बिना कारण पृच्छा के समाप्त की जा सकेगी, परन्तु इसकी लिखित सूचना कारण सहित उसे दी जाएगी।

(2) परिवीक्षाधीन अवधि की गणना नियमित सेवा में की जायेगी।

6. **प्रशिक्षण ।–**

(1) नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को उसकी पदस्थापना से पहले भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान राँची में बुनियादी पाठ्क्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।